

**छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, केपिटल काम्पलेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)**

क्रमांक
प्रति,

/एफ-7-4/31/एस-2/2018,

नया रायपुर, दिनांक /05/2018

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के महानदी परियोजना के अंतर्गत गोड़ा से कुसमी तक नहर एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र. 1059/बो.प्र./सूक्ष्म/AA/2017/19834, दिनांक 29.12.2017.

राज्य शासन एतद् द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के महानदी परियोजना के अंतर्गत गोड़ा से कुसमी तक नहर एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु लागत राशि रु. 588.61 लाख (रु. पांच करोड़ अठ्यासी लाख इकसठ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से 366 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, लेखा शीर्ष 4700, वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय-(02) महानदी परियोजना समूह (800) अन्य व्यय (2898)-बांध तथा संलग्न कार्य, #26-वृहद निर्माण कार्य-005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. 276/ब-2/कम्प्यूटर क्र.-31-01830, दि. 22.05.2018 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(राजीव अहिरे)

अवर सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पृ.क्र. 3470 / एफ-7-4 / 31 / एस-2 / 2018,


नया रायपुर, दिनांक 29 / 05 / 2018


प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
8. कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) ।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 नया रायपुर ।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
13. अधीक्षण अभियंता, महानदी मंडल रायपुर, जिला-रायपुर ।
14. प्रभारी बजट शाखा, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर ।
15. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन प्रबंध संभाग क्रमांक-2, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

16. आदेश पंजी ।




28/5/18
अवर सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर
28/5/18